यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) राज्य कर, खण्ड-6, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) राज्य कर, खण्ड-6, हरिद्वार के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री अजय कुमार मिश्रा एवं एस.एस. दरियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा श्री विजय कुमार मौर्य, वरि. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 08.03.2021 से 19.03.2021 तक श्री आर.एस. नेगी-II, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्रीमती रेखा व श्री प्रवीन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 03.03.2020 से 15.03.2020 तक श्री राजकुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी एवं व्यय हेतु माह -- से -- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः -**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

(₹ लाख मे)

वर्ष	**अर्जित राजस्व**
2017-18	1333.63
2018-19	1161.53
2019-20	1344.40

(ii) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (Plan)		गैर स्थापना (Non Plan)		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना ()	गैर स्थापना ()	आवंटन ()	व्यय ()	आवंटन ()	व्यय ()		
		शून्य						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई 'A' श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, वित्त **>** आयुक्त, राज्य कर**>** संयुक्त आयुक्त, राज्य कर**>** उपायुक्त, राज्य कर**>** सहायक आयुक्त, राज्य कर**>** राज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) राज्य कर, खण्ड-6, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) राज्य कर, खण्ड-6, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: -------- विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: ---------- को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 01 : अर्थदण्ड का अनारोपण ₹1.53 लाख।

प्रस्तर- 02 : अर्थदण्ड का अनारोपण ₹0.40 लाख।

प्रस्तर- 03 : देय कर विलम्ब से जमा करने के परिणामस्वरूप अर्थदण्ड का अनारोपण ₹1.69लाख।

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

भाग -2 (ब)

प्रस्तर- 01 : अर्थदण्ड का अनारोपण ₹1.53 लाख।

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 10 (b) सपठित धारा 10-A में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी होते हुए किसी वर्ग का माल क्रय करते समय यह मिथ्या (falsely) जाहिर करेगा कि माल का ऐसा वर्ग उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अंतर्गत है तो वह प्राधिकारी जिसने इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र, यथास्थिति, उसे अनुदत्त किया था या उसे अनुदत्त करने के लिए सक्षम हो, सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात लिखित आदेश द्वारा शास्ति के रूप में उतनी राशि उस पर अधिरोपित कर सकेगा, जितनी उस कर के डेढ़ गुने से अधिक न हो, जो उस माल के उसको किए गए विक्रय के बाबत धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन उस दशा में उद्ग्रीहित किया जाता, यदि विक्रय उस उपधारा के अंतर्गत आने वाला विक्रय होता।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खंड-6, राज्य कर,हरिद्वार के अभिलेखों की 04/2019 से 03/2020 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री लवी प्लास्टिक, कलियर रोड बहादराबाद, हरिद्वार टिन: 05014502010 कर निर्धारण वर्ष 2015-16 ने कर निर्धारण वर्ष 2015-16में प्रांत के बाहर से रियायती दर पर ₹ 755,700/- मूल्य की Machine एवं Stablizer (संलग्नक) की खरीद हेतु फॉर्म **'सी'** जारीकिया किन्तु उक्त क्रय करते समय व्यापारी के केंद्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र में उक्त वस्तुएं सम्मिलित नहीं थी। व्यापारी, इस कृत्य हेतु केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 10-A सपठित 10(b) के अनुसार 13.5% दर पर 1.5 गुना `152,928/- तक के अर्थदण्ड का दायी था। उक्त धनराशि व्यापारी द्वारा राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर मे बताया गया कि जांचोपरान्त आख्या प्रेषित की जाएगी।

अत: अर्थदण्ड ₹ 152,928/= का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग (दो) ब

प्रस्तर- 02 : अर्थदण्ड का अनारोपण ₹0.40 लाख।

उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम,2005 की धारा 35 की उपधारा 4 में प्रावधान किया है कि उपधारा (1)या(2)या (3)के अधीन कटौती की गई धनराशि ऐसी कटौती करने वाले ब्यक्ति द्वारा उस माह, जिसमे कटौती की जाय, के आगामी माह की समाप्ति से पूर्व सरकारी कोष में जमा करना होगा।

31 मार्च 2015 में धारा 35 की उपधारा (8) में किए गए संशोधन (8) (ख)(i) के अनुसार यदि ऐसी राशि जमा करने में विलम्ब एक माह से अधिक नहीं है, ऐसी धनराशि, जो ऐसी राशि के दो प्रतिशत के बराबर होगी, का भुगतान अर्थदण्ड के रूप में करेगा।

सहायक आयुक्त(कर- निर्धारक), खण्ड-6 राज्य कर हरिद्वार के अभिलेखों की जांच में पाया कि हरिद्वार हाइवेज प्रोजेक्ट्सलि. द्वारा संगत वर्ष में ठेकेदार (एरा इन्फ्रा इंजेनीयरिंग) माह जनवरी, 2016 की कटौती की गई धनराशि 09/03/2016 को ₹ 20.00 लाख जमा की गई थी। जो कि एक माह पश्चात जमा की गई। उल्लिखित नियमानुसार टी.डी.एस. बिलम्ब से जमा करने पर दो प्रतिशत अर्थदण्ड आरोपित कर वसूला जाना था, अतः ₹40000/- (2000000 x 2%) देय था एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

इसे इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि “नियमानुसार कार्यवाही के पश्चात आख्या प्रेषित की जाएगी”।

अतः बिलम्ब से टी.डी.स. जमा करने पर अर्थदण्ड ₹ 40,000/- की वसूली नही किया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर- 03 : देय कर विलम्ब से जमा करने के परिणामस्वरूप अर्थदण्ड का अनारोपण ₹1.69 लाख।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत यदि किसी व्यौहारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया है तो वह देय कर के अतिरिक्त,अर्थदण्ड के रूप में, यदि विलंब 01 माह तक हो तो देय कर का 5% का दायी होगा, यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर रु0 20 हज़ार तक हो तो वह देय कर का कम से कम 10% एवं अधिक से अधिक 20% और यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर रु0 20 हज़ार रूपए से अधिक हो तो वह देय कर का कम से कम 20% एवं अधिक से अधिक 30% का दायी होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण),खण्ड-6, राज्य कर,हरिद्वार के अभिलेखों की 04/2019 से 03/2020 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि **09** व्योव्हारियों **(संलग्नक विवरण)** द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि ₹ **1901494/-** को विलंब से जमा किया गया था| उक्त: विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार न्यूनतम ₹ **168804/-** का अर्थदण्ड अरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

इस प्रकार **₹1.69लाख**अर्थदण्डआरोपितन किये जाने के कारण राजस्व क्षति हुई|
अतःप्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

क्रम सं	व्यापारी का नाम (सर्वश्री)	TIN सं	कर निर्धारण वर्ष	Month/ Quarter	कर जमा करने की देय तिथि	कर जमा करने की तिथि	विलम्ब दिन	कर की राशि	अर्थदण्ड की दर (%)	आरोपणीय अर्थदण्ड की राशि
1	M/S The Hnas Foundation Eyecare, Haridwar	05014465150	2016-17	Q1	20-Jul-16	26-Jul-16	6	52819.00	5.00	2640.95
				Q2	20-Oct-16	8-Nov-16	19	86381	5.00	4319
				Q4	20-Apr-17	26-Apr-17	6	23675.00	5.00	1176
2	M/S APS Packaging Systems, Haridwar	05014855381	2015-16	Q1	20-Jul-15	28-Aug-15	39	20720	20.00	4144
				Q2	20-Oct-15	3-Dec-15	44	43672	20.00	8734
				Q4	20-Apr-16	25-Apr-16	5	126505.00	5.00	6325.25
3	M/S Paramhans Pakaging ind park sidcul, Haridwar	05011788629	2015-16	May	20-Jun-15	22-Jun-15	2	32135.00	5.00	1606.75
				Aug	20-Sep-15	24-Sep-15	4	9670.00	5.00	483.50
				Sep	20-Oct-15	27-Oct-15	7	13746.00	5.00	687.30
				Nov	20-Dec-15	25-Dec-15	5	16700.00	5.00	835.00
4	M/S Bansal Polyplast Private ltd. ind park-2, Haridwar	05017583991	2017-18	Apr	20-May-17	30-May-17	10	227485	5.00	11374.25
				Jun	20-Jul-15	25-Jul-15	5	154540	5.00	7727.00
5	M/S Skyworks, Haridwar	05017654607	2016-17	Q3	20-Jan-17	24-Apr-17	84	73360	20.00	14672.00
				Q4	20-Apr-17	13-Jul-17	84	128900.00	20.00	25780.00
6	M/S Infoundtech Solutions, Haridwar	05011893874	2015-16	Q1	20-Jul-15	1-Feb-16	196	103700.00	20.00	20740.00

				Q2	20-Oct-15	2-Nov-15	13	99280.00	5.00	4964.00
				Q3	20-Jan-16	1-Feb-16	12	147756.00	5.00	7387.80
7	M/S Seth Industries, Haridwar	05015720330	2016-17	Q2	20-Oct-16	24-Nov-16	35	99687.00	20.00	19937.40
				Q3	20-Jan-17	14-Feb-17	25	133314.00	5.00	6665.70
				Q4	20-Apr-17	29-Apr-17	9	163233.00	5.00	8161.65
8	M/S Shiva Industries, Bahadrabad, Haridwar	05012516614	2016-17	Q1	20-Jul-16	29-Jul-16	9	25026.00	5.00	1251.30
				Q2	20-Oct-16	24-Oct-16	4	27653.00	5.00	1382.65
9	M/S Khandelwal Gases, Jwalapur Haridwar	05002098135	2016-17	Dec	20-Jan-17	1-Mar-17	40	20748.00	20.00	4149.60
							योग	**1830705.00**		**168993.20**

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
राजस्व लेखा परीक्षा से संबन्धित			
141/17-18	-	01,02,03,04	-

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) राज्य कर, खण्ड-6, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
3. टिप्पणी- शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री रजनीकान्त सादी,	स.क.अधि. (07/19 के वर्तमान तक)
(ii)	श्रीमती शिखा तोमर,	रा. कर अधि.
(iii)	सुश्री नेहा मिश्रा,	विगत लेखा परीक्षा (01/01/2019 तक)

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV